

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 27, 1984/चैत्र 7, 1906
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 27, 1984/CHAITRA 7, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1984

सं. 90/84-सीमाशुल्क

सा.का.नि.228(अ) .—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962
(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 197-सीमाशुल्क, तारीख 14 अक्टूबर, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में “31 मार्च, 1984” अंको और शब्द के स्थान पर “31 मार्च, 1985” अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 356/9/83-सीमाशुल्क-1]

राजेन्द्र प्रकाश, अव्वर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1984

No. 90/84-CUSTOMS

G.S.R. 228(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 197-Customs, dated the 14th October, 1978, namely :—

In paragraph 2 of the said notification, for the figures, letters and words “31st day of March, 1984”, the figures, letters and words “31st day of March, 1985” shall be substituted.

[F. No. 356/9/83-CUS.I]

RAJENDRA PRAKASH, Under Secy.